सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –294 / 2016

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. लादू पुत्र रामकरण जाट निवासी सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1. रामा पुत्र रघुनाथ जाट
2. लाला पुत्र जगन्नाथ जाट
   समस्त निवासीगण उगानखेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–21.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सरसडी में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकड़ी के खाता स. 207 खसरा नम्बर 102, 116, 121, 192 किता 4 कुल रकबा 7.61 हैक्ट. भूमि वादी नाम दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी के कब्जे काश्त, स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। प्रतिवादीगण 1 व 2 वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी खातेदार है जो बार–बार आराजीयात के सीमा चिन्ह को मिटा देते है एवं वादी की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने व फसल काश्त करने पर उतारू है व मना करने पर लडाई–झगडा करने पर उतारू हो जाते है जिसके कारण वादी द्वारा स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश कासोटिया ने पावर पेश किया। पत्रावली केम्प कोर्ट सरसड़ी में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जवाब पेरोकार का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम उगानखेडा की वर्तमान जमाबन्दी संवत के खाता नम्बर 207 में वर्णित खसरा नम्बर 102, 116, 121, 192 किता 4 कुल रकबा 7.61 हैक्ट भूमि लादू पुत्र रामकरण जाट सा. सरसडी के नाम दर्ज है। अतः वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकड़ी के खाता स. 207 खसरा नम्बर 102, 116, 121, 192 किता 4 कुल रकबा 7.61 हैक्ट. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 21.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी